दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पे & अलावनसेस/ 25/6952 दिनांक:-12.09.2018

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-253/2018

विषय:-Grant of Dearness Allowance to Railway employees- Revised Rates effective from 01.07.2018.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. PC-VII/2016/I/7/2/1 दिनांक 10.09.2018, RBE No. 132/2018, PC-VII No.-116 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक, आरबीई एवं दिनांक	स्थापना नियम संख्या
1.	F.No.PC-VII/2016/I/7/2/1 dated 19.03.2018, RBE No.39/2018	90/2018

उपरोक्त नियम दपूमरे की अधिकारिक वेब-साइट http://www.secr.indianrailways.gov.in एवं CPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

Share Folder-

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त. (2 पृष्ठ)

(हफिज मोहम्मद)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच.क्यू.)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

ER NO - 253/2018 P/1

PC-VII No.- 116 | **RBE No.:132/2018**

File No. PC-VII/2016/I/7/2/1 | **New Delhi, dated: 10 .09.2018**

The General Manager/CAOs(R),
All India Railways & Production Units,
(As per mailing list)

Sub: - Grant of Dearness Allowance to Railway employees – Revised Rates effective from 01.07.2018.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's letter RBE No 39/2018 dated 19.03.2018 (F. No. PC-VII/2016/I/7/2/1) on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Railway employees shall be enhanced from the existing rate of **7% to 9%** of the basic pay with effect from **1st July, 2018.** 90/18

2. The term 'basic pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.

3. The Dearness Allowance will continue to be distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of Rule 1303 (FR 9(21)), Indian Railway Establishment Code, Volume –II (Sixth Edition – 1987) – Second Reprint 2005.

4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

5. The payment of arrears of Dearness Allowance shall not be made before the date of disbursement of salary of September, 2018.

6. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

(S. Balachandra Iyer)
Executive Director, Pay Commission-II
Railway Board

File No. PC-VII/2016/I/7/2/1 | **New Delhi, dated: 10 .09.2018**

Copy (with 40 spares) forwarded to the A.D.A.I., Railways, New Delhi.

For Financial Commissioner, Railways

253/2018
P/2

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

पीसी-VII सं. 116 — आरबीई सं.: 132/2018

फाइल सं. पीसी-VII/2016/आई/7/2/1 — नई दिल्ली, दिनांक: 10 .09.2018

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(डाक सूची के अनुसार)

विषय:- रेलवे कर्मचारियों को 01.07.2018 से प्रभावी संशोधित दरों पर महंगाई भत्ता प्रदान करना।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 19.03.2017 के पत्र आरबीई सं. 39/2018 (फाईल.नं. पीसी-VII/2016/आई/7/2/1) का अवलोकन करने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रपति सहर्ष यह निर्णय लेते हैं कि रेलवे कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते को 01 **जुलाई, 2018** से मूल वेतन के 7% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 9% किया जाएगा।

2. सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का आशय पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर में प्राप्त वेतन से है, परंतु इसमें कोई अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है।

3. महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का विशिष्ट तत्व ही रहेगा और इसे नियम 1303 (एफआर 9(21)), भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, वॉल्यूम-II (छठा संस्करण - 1987) - दूसरा नया पुनर्मुद्रण 2005 की परिधि के भीतर वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा।

4. महंगाई भत्तों के कारण भुगतान, जिसमें 50 पैसे और इससे अधिक पैसे की राशि शामिल हो तो उसे अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाए और 50 पैसे से कम की राशि पर ध्यान न दिया जाए।

5. महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान सितंबर, 2018 के वेतन के वितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा।

6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

बा. अय्यर

(एस. बालाचंद्र अय्यर)
कार्यपालक निदेशक, वेतन आयोग-II
रेलवे बोर्ड